

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

कार्यालय - आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कौलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	post	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA
				Name Of School	District	Name Of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SITA DEVI	(RJNA200128005566)	Class IV	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANANDPUR KALU PALI (214057)	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FALKA (214061)	PALI	NO

- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
 - राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
 - यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
 - TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
 - राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
 - उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है जो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(सिहुल कुमार राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

दिनांक : 20.12.2022

क्रमांक : शिविपा/मु.मा./पाली/संस्था/2022/1090

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- श्रीमान् निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित सरथा प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- संबंधित कार्मिक.....।
- कार्यालय/रक्षक पजिका।

(सिहुल कुमार राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली